सुखबीर सिंह और अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य

1 अक्टूबर, 1997

[जी. एन. रे और जी.बी.पटनायक, जे.जे.]

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987:धारा 18.

नामित न्यायालय - टाडा विचारण - मामले को नियमित आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरण - नामित न्यायालय में पुनः स्थानांतरण - वैद्यता - अभियुक्त अपीलार्थियों का नामित न्यायालय में विचारण किया गया - नामित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि टाडा के तहत अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनना पाया गया - परिणामस्वरूप मामला मुकदमे के लिए उपयुक्त आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया गया - आदेश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए पारित किया गया - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक दी गई - उक्त स्थगन अदेह के

आधार पर मामला नामित न्यायालय को पुनः स्थानांतरित किया - अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील -नियमित आपराधिक पीठ द्वारा मामले की सुनवाई के लिए रिहा करने के नामित न्यायाधीश के आदेश को पूरी तरह से उचित ठहराया गया - नामित न्यायालय के समक्ष उक्त आपराधिक मामले को पुनः स्थानांतरित करने का कोई अवसर नहीं था जब उस आदेश को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त नहीं किया गया - नामित न्यायालय के समक्ष मामले को बाद में स्थानांतरित करना और नामित न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को इसलिए सम्पोश्नीय नहीं माना जाता है और इसलिए अपास्त किया जाता है।

* बिमल कौर खालसा बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. (1988) पंजाब और हरियाणा पृष्ठ 95; कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1994] 3 एस. सी. सी. 569; हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1994] 4 एस. सी. सी. 602 और रामभाई नाथूबाई गढ़वी और अन्य बनाम गुजरात राज्य, (1977) 5 स्केल 388, संदर्भित

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. 169/ 1988

टी. एस. सी. संख्या 9/86 एस.टी.संख्या 4/ 1987 में हिसार में नामित न्यायालय, भिवानी के के निर्णय और आदेश दिनांक 6.2.88 से।

के. टी. एस. तुलसी, सोम राज दत्ता, उमा दत्ता और एम. एस. दिहया, याचिकाकर्ता की ओर से।

अजय सिवाच प्रेम मल्होत्रा के लिए, प्रतिवादी की ओर से। न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया :

इस अपील में हिसार में नामित न्यायालय भिवानी द्वारा सत्र विचारण संख्या 49/87 में 6.2.88 को अपीलार्थी के खिलाफ दी गई दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी गई है।

श्री केटीएस तुलसी, विद्वान विरष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी संख्या 1 सुखबीर सिंह और श्री सोम राज दत्ता, विद्वान विरष्ठ अधिवक्ता शेष अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित हुए हैं। अपीलार्थी सुखबीर सिंह को विद्वान नामित अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 307 सपठित 149 के तहत दोषी ठहराया है। अन्य अपीलार्थियों को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 307 सपठित धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया है। हालाँकि उक्त अपीलार्थियों को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है, लेकिन ऐसे अपराध के लिए कोई अलग सजा नहीं दी गई है।

श्री तुलसी ने प्रस्तुत किया है कि शुरू में अपीलकर्ताओं पर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985

(इसके बाद टाडा के रूप में संदर्भित) के तहत अपराध का भी आरोप लगाया गया था। इसके बाद विद्वान नामित न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया और विचारण की कारवाही की। अभिलेख पर सामग्री पर विचार करते ह्ए, अन्य बातों के साथ-साथ, नामित न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि टाडा के तहत अपराध का कोई मामला नहीं बनना पाया गया था। इसलिए, विद्वान नामित न्यायाधीश द्वारा 19.12.87 पर एक आदेश पारित किया गया था कि मामले को उक्त आपराधिक मामले की स्नवाई के लिए उपयुक्त आपराधिक अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 19 दिसंबर, 1987 के उक्त आदेश के आधार पर, विद्वान न्यायाधीश, नामित न्यायालय ने बिमल कौर खालसा के मामले ए.आई.आर. (1988) पंजाब और हरियाणा पृष्ठ 95 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बिमल खालसा के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की उक्त पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय दवारा स्थगन का अंतरिम आदेश दिया गया था। स्थगन के उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, मामले को गुण-दोष के आधार पर विचारण के लिए फिर से विद्वान् नामित न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया था।

श्री त्लसी ने प्रस्त्त किया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अन्सार बिमल खालसा के मामले में टाडा के तहत अपराध क्या है, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा कर्तार सिंह के मामले में, [1994] 3 एससीसी पृष्ठ 569 पर विचार किया गया है। श्री त्लसी ने प्रस्त्त किया है कि हितेंद्र विष्ण् ठाक्र और अन्य, [1994] 4 एस. सी. सी. 602 में इस न्यायालय ने यह भी विचार किया है कि टाडा के तहत आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ क्या हैं। उक्त संविधान पीठ के फैसले में इस न्यायालय का निर्णय बिमल खालसा के मामले में बताए गए सिद्धांत को मंजूरी देता है। इसलिए, विद्वत नामित न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कि टाडा के तहत कोई मामला नहीं बनना पाया गया था, पूरी तरह से उचित माना जाना चाहिए। इसलिए, ग्ण-दोष के आधार पर भी, नामित न्यायालय के लिए उक्त मामले की स्नवाई के साथ आगे विचारण करने का कोई अवसर नहीं था, जब टाडा के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था। श्री त्लसी ने आगे कहा है कि केवल इसलिए कि बिमल खालसा के मामले में फैसले के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष एक अपील लंबित थी और उक्त अपील में रोक का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के अभाव में मामले को विद्वान नामित अदालत के समक्ष फिर से स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं था, जिसमें विद्वान नामित न्यायाधीश द्वारा 19 दिसंबर, 1987 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि टाडा के तहत कोई मामला नहीं बनाया गया था और इसलिए मामले को नियमित आपराधिक अदालत के समक्ष स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

श्री त्लसी ने इसलिए प्रस्त्त किया है कि विद्वान नामित न्यायाधीश, के पास आपराधिक मामले की स्नवाई के साथ कार्यवाही करने और भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी के खिलाफ विवादित आदेश या दोषसिद्धि और सजा पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। श्री त्लसी ने यह भी प्रस्त्त किया है कि रामभाई नाथूबाई गढ़वी और अन्य, बनाम गुजरात राज्य, (1977) 5 स्केल पेज 388 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां उचित मंजूरी के अभाव में, नामित न्यायालय के पास मामले का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, वहां पूरे विचारण को दूषित कर दिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि नामित न्यायालय के समक्ष विचारण के लंबित रहने के दौरान लंबे समय तक जेल में नजरबंदी को देखते ह्ए, नियमित आपराधिक न्यायालय द्वारा उक्त आपराधिक मामले की आगे विचारण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि नियमित

आपराधिक न्यायालय के समक्ष उक्त आपराधिक मामले की आगे की कार्यवाही के प्रश्न को राज्य द्वारा नामित न्यायालय के समक्ष विचारण के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त द्वारा लंबे समय तक निरोध का सामना करने के उक्त तथ्य पर ध्यान में रखा जाएगा। श्री तुलसी ने प्रस्तुत किया है कि तत्काल मामले में नामित न्यायालय के समक्ष मामले के समक्ष मामला श्रू होने के बाद से लंबा समय बीत चुका है, मामले का विचारण केवल नियमित न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है और इस तरह के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। नामित न्यायालय के समक्ष विचारण कार्यवाही में विलम्ब आरोपी के कारण नहीं है। इसलिए, नियमित आपराधिक पीठ के समक्ष लंबित माने जाने वाले उक्त आपराधिक विचारण को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि विचारण को पूरा करने में लंबी देरी होती है जिससे अपीलार्थियों के खिलाफ गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होता है। मामले के तथ्यों में, श्री त्लसी ने सही तर्क दिया है कि नामित न्यायाधीश का आदेश दिनांक 19.12.1987 आपराधिक पीठ द्वारा विचारण के लिए मामले को रिहा करना पूरी तरह से उचित था। नामित अदालत के समक्ष उक्त आपराधिक मामले को फिर से स्थानांतरित करने का कोई अवसर नहीं था जब आदेश की तारीख 19.12.1987 को किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त नहीं किया गया था। नामित न्यायालय के समक्ष मामले के इस तरह के बाद के प्नः

स्थानांतरण और नामित न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को इसलिए कायम नहीं रखा जा सकता है और इसलिए इस अपील को स्वीकार करके इसे अपास्त किया जाता है। हालाँकि हम आपराधिक मामले को अपास्त करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जिसे नियमित आपराधिक पीठ के समक्ष लंबित माना जाना चाहिए। यदि वे चाहें तो अभियुक्त उपयुक्त न्यायालय के समक्ष आपराधिक विचारण को अपास्त करने के लिए उचित आवेदन कर सकते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है। इस न्यायालय द्वारा दिया गया जमानत का अंतरिम आदेश आज से छह सप्ताह की अवधि के लिए जारी रहेगा ताकि उस न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए उचित आवेदन किया जा सके जहां विचारण शुरू होगा। अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

टीएनए।

अपील का निस्तारण किया गया।

अस्वीकरण - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जिरये अनुवादक की सहायता से किया गया है। इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।